

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, राँची-834001**

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की  
अंतिम तिथि-15.11.2019

**विज्ञापन**

विज्ञापन संख्या - 08/2019

**(सहायक अभियन्ता (विद्युत) नगर विकास एवं आवास विभाग सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा)**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-6773 (अनु) दिनांक-28.08.2019 द्वारा झारखण्ड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (विद्युत) के निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध) आमंत्रित किए जाते हैं।

1. (i) पद का नाम - सहायक अभियन्ता (विद्युत)

(ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है:-

SL. No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against today vacancy					
		No. of Vacancy	Woman	Sports	Handicapped			
					Blind & Low vision	Deaf & Dumb	Locomotive	Autism/Multiple Disabilities
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Unreserved	03	00	00	01	00	00	00
ii	SC	01						
iii	ST	01						
iv	EBC-I	01						
v	EBC-II	00						
vi	EWS	00						
<b>Total of (i) to (vi)</b>		<b>06</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

नोट:- कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के अनुसार घट-बढ़ सकती है।

2. (क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित पदों में से 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण आदिम जनजाति के लिए देय होगा। ये आदिम जनजातियों के पद वैसे अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे जो न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करेंगे। मेधा सूची में यदि अनुमान्य आदिम जनजाति के सदस्य स्वतः आ जाते हैं तो आदिम जनजाति के लिए अलग से अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा किन्तु यदि आदिम जनजाति के सदस्य अनुसूचित जनजाति की मेधा सूची में नहीं आते हैं तो इन्हें मेधा क्रमानुसार 02 प्रतिशत पद उपलब्ध करा दिये जायेंगे। राज्य सरकार के संकल्प संख्या-7358 दिनांक-12.09.2019 के आलोक में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में ये पद रिक्त नहीं रहेंगे अपितु अनुसूचित जनजाति के अन्य योग्य उम्मीदवार से भरे जायेंगे अर्थात् बैकलॉग नहीं होगा।

3. वेतनमान :- 9300-34800 ग्रेड वेतन-5400

4. पद :- स्थायी

5. परीक्ष्यमान अवधि :- 02 (दो) वर्ष



6. उम्र गणना की सन्दर्भ तिथि :- 01.08.2019

7. (क) न्यूनतम उम्र सीमा :- 21 वर्ष।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-609 दिनांक-25.01.2016 के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	35 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)	37 वर्ष
3.	महिला {अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)}	38 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष

नोट:-

(i) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-7636 दिनांक-12.10.2018 के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट दी जायेगी।

(ii) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-service men) को उनकी कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5(पाँच) वर्षों की छूट देय है।

8. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत इंजिनियरींग में स्नातक।

नोट- अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यतः प्राप्त कर लिये हों।

9. सीधी नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:-

(क) अर्हताधारी अभ्यर्थियों की लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित एवं मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(ख) यदि दो अथवा दो से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांक समान हो तो उच्चतर शैक्षणिक योग्यता तथा इसके उपरान्त भी यदि प्राप्तांक एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

10. न्यूनतम अर्हतांक:-

सामान्य वर्ग	-	40%
पिछड़ा वर्ग	-	36.5%
पिछड़ा वर्ग (एनेक्वर-1)	-	34%
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	-	32%

अन्तर्वीक्षा के लिए भी उपरोक्त न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. परीक्षा का स्वरूप, विषय एवं पाठ्यक्रम:-

i. The Examination shall be conducted according to the following plan:-

**Part I – (Written Exam)**

The written Examination will comprise of two sections Section I consisting only of objective type of questions and Section II of conventional papers. Both Sections will cover the entire syllabus of the relevant engineering disciplines viz. Electrical Engineering. The standard and syllabi prescribed for these papers are given in Schedule to the Appendix. The details of the written Examination i.e. subject, duration and maximum marks allotted to each subject are given below.



## ELECTRICAL ENGINEERING

Subject	Duration	Maximum Marks
<b>Section I-Objective Papers</b>		
<b>1.General Ability Test</b> (Part A: General English) (Part B: General Studies)	2 hrs.	200
<b>2.Electrical Engineering-Paper I</b>	2 hrs.	200
<b>3.Electrical Engineering-Paper II</b>	2 hrs.	200
<b>Section II- Conventional Papers</b>		
<b>4.Electrical Engineering – Paper I</b>	3 hrs.	200
<b>5.Electrical Engineering – Paper II</b>	3 hrs.	200
<b>Total</b>		<b>1000</b>

### Part II- (Personality test)

Personality test carrying a maximum of 200 marks of such of the candidates who qualify on the basis of the written examination.

**NOTE :** Candidates are advised to read carefully special instructions to candidates for conventional type tests and objective type tests given in Appendix including the procedure regarding filling in the Answer Sheet of objective type tests in the Examination Hall.

- III. In the Personality Test special attention will be paid to assess the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application and integrity of character.
- IV. Conventional papers must be answered in English. Question papers will be set in English only.
- V. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write the answers for them. However, an extra time of twenty minutes per hour shall be permitted for the candidates with locomotor disability/cerebral palsy where dominant (writing) extremity is affected to the extent of slowing the performance of functions (minimum of 40% impairment) in the conventional type paper.
- VI. The minimum qualifying marks shall be fixed in any or all the papers of the examination in accordance with the resolution no. 13026 dated 27.11.2012 of the Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Govt. of Jharkhand. The Objective Type papers as contained in Section-I of the Plan of the Examination will be evaluated first and evaluation of the Conventional Type Papers contained in Section-II of the Plan of Examination will be done only of those candidates who obtain the minimum qualifying marks in Objective Types Papers, as fixed by the Commission.
- VII. In the question papers, wherever required, SI units will be used.

**NOTE :** Candidates will be supplied with standard tables/charts in SI units in the Examination hall for reference purpose, wherever considered necessary.

- VIII. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay)type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination hall is not permitted. It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering Objective Type Paper (Test booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.
- IX. Candidates should use only International form of Indian numerals (e.g.1,2,3,4,5,6, etc.) while answering question papers.

- X. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्तर :- विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के अधिकृत वेबसाईट- [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

